"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016—वैशाख 9, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (1985), अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग, प्रमुख आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली, अध्यक्ष, नया रायपुर विकास प्राधिकरण एवं अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को केवल अपर मुख्य सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, अध्यक्ष, नया रायपुर विकास प्राधिकरण के प्रभार से मुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

2. श्री अमन सिंह, प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, मान. मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग को केवल प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, अध्यक्ष, नया रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007), संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ करता है. साथ ही श्री यशवंत कुमार को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 31-03-2016 में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. सी. देवसेनापति, भा.प्र.से. (2007) कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना आजीविका कालेज सोसायटी के पद पर पदस्थ किया गया है. श्री देवसेनापति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् उक्त असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

2. श्री हिमशिखर गुप्ता, भा.प्र.से. (2007) कलेक्टर जशपुर को प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है. श्री गुप्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् उक्त असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है

नया रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गणेश शंकर मिश्रा, (भा.प्र.से.-1994) आयुक्त, आबकारी एवं पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन) विभाग, तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन तथा सचिव, जनसंपर्क को सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

2. डॉ. बृजभूषण लाल तिवारी, (भा.प्र.से.-1996) सचिव, जल संसाधन विभाग को सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

श्री एन. के. असवाल, (भा.प्र.से.-1983), अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, डॉ. बृजभूषण लाल तिवारी, द्वारा सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का पदभार ग्रहण करने पर केवल अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

3. श्री अशोक कुमार अग्रवाल, (भा.प्र.से.-2000), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को आयुक्त, आबकारी एवं पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन) विभाग, तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री संतोष कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. (TN-2000), सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

5. श्री राम सिंह ठाकुर, भा.प्र.से. (2000), आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्रमांक बी-1-23/2015/4/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (15600-39100 तथा ग्रेड वेतन रुपये 7600) में कार्यरत श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, विशेष सहायक, मान. मंत्री, कृषि, जल संसाधन को दिनांक 1-4-2016 से राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 37400-67000/- तथा ग्रेड वेतन रुपये 8700) में नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 3-25/2014/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 की उप धारा (ध) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा "आतंकवादी निरोधक दस्ता थाना (ए.टी.एस. थाना)" का सृजन, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से करती है. यह थाना ऐसे मामलों का अनुसंधान करेगा जो "आतंकवादी निरोधक दस्ता" द्वारा ग्रहण किये जायेंगे. यह थाना रायपुर स्थित मुख्यालय में कार्यरत होगा एवं इसका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा. इस थाना के प्रभारी पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्रमांक/ एफ 7-11/2014/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री हिमांशु गुप्ता, (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, सरगुजा, छत्तीसगढ़ को दिनांक 04-04-2016 से 13-04-2016 तक (कुल 10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 3, 14, 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री हिमांशु गुप्ता आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, सरगुजा, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री हिमांशु गुप्ता (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, सरगुजा, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में महानिरीक्षक सरगुजा रेंज का अतिरिक्त प्रभार श्री पवन देव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्रमांक/एफ 19-19/2014/25-2, पार्ट-2.—वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 83 की उप धारा (1) एवं (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्र. 5344/3754/टी.डब्ल्यू.डी./2002, रायपुर दिनांक 2 नवंबर 2002 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, त्रिसदस्यीय वक्फ अधिकरण का गठन करती है. अधिकरण का मुख्यालय रायपुर में होगा तथा अधिकरण के अधिकार क्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा. अधिकरण, अपनी बैठकें अपनी सुविधा एवं आवश्यकतानुसार संभागीय तथा जिला मुख्यालय में भी आयोजित कर सकेगा. अधिकरण के सदस्यों की योग्यताएं निम्नानुसार होगी,—

(क)	छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा का एक सदस्य, जो जिला, सत्र एवं सिविल न्यायाधीश, वर्ग-एक से निम्न का न हो.	अध्यक्ष
(ख)	राज्य सिविल सेवा का एक सदस्य, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से निम्न का न हो.	सदस्य
(ग)	एक व्यक्ति, जो मुस्लिम विधि एवं विधिशास्त्र का ज्ञान रखता हो	सदस्य

No. F 19-19/2014/25-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (4) of Section 83 of the Wakf Act, 1995 (No. 43 of 1995) and in supersession of this Department's Notification No. 5344/3754/TWD/2002, Raipur, dated 02nd November, 2002 the State Government, hereby, constitutes a three member Wakf Tribunal. Head-quarter of the Tribunal shall be at Raipur and jurisdiction of the Tribunal shall extend to the entire State of Chhattisgarh. The Tribunal may hold its meetings according to its convenience and requirement at Divisional as well as District Headquarter. Eligibility for the members of the Tribunal shall as be as under :

(a)	A member of the State Judicial Service holding a rank, not below the rank of District, Sessions or Civil Judge, Class-I.	Chairman
(b)	A member of the State Civil Services not below the rank of Additional District Magistrate.	Member
(c)	One person having the knowledge of Muslim law and jurisprudence.	Member

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार भट्ट, सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2016

क्रमांक 201/153/2016/धर्मस्व/छ:.—सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश के पालन में श्री छत्तर सिंह डेहरे धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को आज दिनांक 02-04-2016 को अपरान्ह को सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर में कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए कार्य मुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नर्रे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-11/2016/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, आयुक्त सह संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत सारंगढ़ निवेश क्षेत्र की सारंगढ़ विकास योजना 2031 का अनुमोदन करता है. सारंगढ़ निवेश क्षेत्र की सारंगढ़ विकास योजना, 2031 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

2. सारंगढ़ निवेश क्षेत्र की सारंगढ़ विकास योजना 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.)
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सारंगढ़ (छ.ग.)
3. कलेक्टर, रायगढ़ (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से सारंगढ़ निवेश क्षेत्र की सारंगढ़ विकास योजना 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-11/2016/32..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में सारंगढ़ निवेश क्षेत्र की सारंगढ़ विकास योजना 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 6-4-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 6th April 2016

No. F 7-11/2016/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Sarangarh Planning Area, Sarangarh Development Plan-2031 submitted by Directorate under sub-section (3) of section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Sarangarh Planning Area, Sarangarh Development Plan-2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Assistant Director, Town & Country Planning, Raigarh (C.G.)
2. Nagar Panchayat Parishad, Sarangarh (C.G.)
3. Collector, Raigarh (C.G.)

3. The Sarangarh Planning Area, Sarangarh Development Plan-2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला जांजगीर-चांपा के मुलमुला निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-15/2016/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए शिवपुर-चरचा, जिला कोरिया निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

शिवपुर-चरचा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम शिवपुर, चरचा, खरवत, छरछा एवं सीतापुर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम सीतापुर, रकेया, दुधनिया, उदुमदुगा एवं आनी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम आनी, छिंदडांड, आमगांव, सरडी, शिवपुर एवं बिशुनपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में: ग्राम बिशुनपुर एवं शिवपुर पश्चिम ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 18 फरवरी 2016

क्रमांक/01/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	बंधियामाल	3.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 फरवरी 2016

क्रमांक/02/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	मगररोड़ा	2.62	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 फरवरी 2016

क्रमांक/03/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	सितलीजोर	3.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 फरवरी 2016

क्रमांक/04/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	धौराकोट	9.25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 फरवरी 2016

क्रमांक/08/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	गोहरापदर	0.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	चलनापदर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 फरवरी 2016

क्रमांक/09/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	चलनापदर	1.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	चलनापदर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 फरवरी 2016

क्रमांक/10/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	सागौनाबाडी	0.41	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	तेलनदी जलप्लावन योजना के शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2016

क्रमांक 40/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पतरापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.403 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73/1	0.190
72/2	0.053
75/2	0.173
75/5	0.020
75/17	0.020
75/18	0.020
75/19	0.017
548	0.684
76	0.202
78/2	0.008
79/1	0.186
79/5	0.020
87/4	0.020
80/5	0.016
87/1	0.042
80/1	0.031
565	0.045
87/5	0.012
80/6	0.016

(1)	(2)
87/3	0.038
80/4	0.016
87/6	0.020
80/7	0.016
80/3	0.031
80/2	0.020
81	0.020
88/1	0.012
568/1	0.049
75/7	0.016
502	0.085
503/1	0.140
503/2	0.080
503/3	0.150
503/4	0.020
503/5	0.010
503/6	0.010
503/7	0.020
503/8	0.060
503/13	0.011
503/9	0.020
503/10	0.018
503/11	0.010
503/12	0.010
503/14	0.024
541/1	0.061
541/9	0.222
541/14	0.041
541/12	0.020
541/6	0.024
541/3	0.061
541/7	0.049
547/10 क	0.041
547/10 ख	0.101
549	0.162
551/1	1.133
558/1	0.405
558/2	0.291
558/3	0.080
556	0.081
572	0.008
568/2	0.162
568/3	0.072
568/4	0.080
567	0.351
566/1	0.277
योग 65	6.403

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोल माईंस परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2016

क्रमांक 51/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पंड़रीपानी (पू.)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.155 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
44	0.255
45	0.809
121/1	0.202
123	0.097
124/1	0.202
128	0.769
129	0.065
130/2	0.004
130/3	0.405
132/6	0.061
134/1	0.040
134/10	0.069
134/11	0.073

	(1)	(2)
	134/6	0.303
	164	0.040
	165/1	0.121
	165/2	0.243
	165/3	0.065
	165/4	0.105
	165/5	0.101
	176	0.016
	177	0.222
	178	0.121
	182	0.134
	184	0.121
	185/7	0.182
	185/9	0.185
	189	0.145
योग	28	5.155

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोल माईंस परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2016

क्रमांक 52/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-दनौट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.782 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	193/1 क	0.198
	193/5	0.099
	193/2 क	0.099
	182/2	0.386
योग	4	0.782

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोल माईंस परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2016

क्रमांक 55/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-विजयपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.200 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42/2	0.070
46/2	0.060
43/1	0.016
45	0.036

	(1)	(2)
	46/3	0.018
योग	5	0.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोल माईंस परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2016

क्रमांक 59/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बेलादुला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	333	0.020
	337	0.080
	334	0.012
	240/1	0.021
योग	4	0.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोल माईंस परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2016

क्रमांक 60/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सकरबोगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.812 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	350/5	0.161
	350/11	0.405
	352/2	0.141
	352/3	0.081
	352/4	0.024
योग	5	0.812

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोल माईंस परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भगोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-22.281 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98	1.167
71	0.202
76/1	0.049
76/15	0.202
80	1.172
83/2	0.405
87/4	0.061
87/6	0.049
153	2.302
72	0.405
76/14	0.024
76/8	0.097
84	0.283
83/3	0.170
87/7	0.041
87/9	0.041
155	0.688
73	2.772
76/3	0.109
76/9	0.162
85	0.405
87/5	0.061
87/8	0.041
87/2	0.041
156	0.162
81	0.829
76/4	0.113
76/12	0.324
79/2	0.607
83/6	0.178
83/4	0.194
158	0.966
82	3.081
76/2	1.011
76/11	0.498
79/3	0.445
83/5	0.154
83/21	0.222
70	1.205
78	0.607
76/10	0.412
76/13	0.024
87/3	0.041
83/22	0.218
87/10	0.041
योग 45	22.281

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सपनई बैराज योजना के तहत बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5578/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-ससहा, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.185 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/1	0.121
529/2	0.004
537/1	0.008
537/2	0.004
537/3	0.008
537/7	0.004
542	0.036
योग 7	0.185

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोहारडीह एनीकट एवं केंवटाडीह (भूतहा) एनीकट एवं तटबंध पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5610/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-कांशीगढ़, प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.234 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3888	0.020
3889	0.032
3890	0.182
योग	0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलकर्री (बावनबुड़ी) एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5612/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-गौरमुड़ा, प.ह.नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.005 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/1	0.040
18	0.040
21/1, 19/1	0.049
51	0.061
17/1	0.040
21/2, 19/2	0.049
52	0.024
50/1	0.069
53/1	0.004
53/2	0.004
53/3	0.004
53/4	0.004

	(1)	(2)
	53/5	0.008
	53/6	0.004
	53/7	0.004
	54	0.057
	55	0.020
	56/1	0.012
	56/2	0.012
	57	0.020
	58/1	0.012
	58/2	0.016
	58/3	0.016
	59	0.012
	61/1	0.251
	62	0.020
	73/1	0.036
	73/2	0.036
	73/3	0.032
	74/1, 74/2	0.049
योग	30	1.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नंदेलीभांठा एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5614/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	418/1	0.061
योग		0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 98/16/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-कांकेनचुंवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
430/1	0.25
430/2	0.15
430/3	0.10

	(1)	(2)
	430/5	0.07
	428/2	0.02
	428/3	0.09
	429/1	0.33
	429/2	0.07
	429/3	0.05
योग	09	1.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमरकोट व्यपवर्तन योजना के शीर्ष/डूब में आई अर्जित भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 21/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी कला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.626 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2077/3	0.255
2077/4	0.012
2077/2	0.020
2002/24, 24, 27, 33, 36, 48	0.506
1835/2, 1836/2 च	0.121
1836/2 ख	0.466
1837	0.020
1846	0.134
1847/1	0.105
1839	0.089
1843/1, 1843/2	0.182
1838	0.057
1845	0.024
1844	0.049
1853/1	0.169
1853/2, 1854	0.138
1852/1	0.202
1852/2	0.125
1849	0.259
1856, 2033/2, 2032, 2028/2	0.190
2029, 2030/1 2031	0.113
2030/2, 1859/2, 2028/1	0.632
1857/3, 2039/2	0.024
1857/1	0.004
1858, 1859/1	0.109
2019	0.040
2016	0.283
2015/1	0.040
1987/1	0.263
1987/2	0.315
1979	0.061
1987/6	0.056
1974	0.150
1972/1	0.214
1972/2, 1973	0.243
1969	0.178
1906	0.016
1968/1	0.049
1968/2	0.142
1908	0.061
1970	0.020
1921	0.170

(1)	(2)
1967	0.020
1919	0.105
1922, 2451	0.089
1912, 1918	0.117
1913	0.073
1914	0.069
1916	0.065
1889/1	0.016
1915/1	0.016
1915/3	0.016
1915/4	0.024
1915/2	0.036
1923	0.020
1924	0.020
2017	0.178
2034	0.121
2018	0.081
2035/1	0.194
2035/2	0.028
2035/3, 2011, 2012, 2036	0.032
योग 68	7.626

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लोखण्डी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.836 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
16/1	0.243
18/1	0.275
18/2, 19	0.073
20/2	0.028
22/2	0.259
82/1	0.008
29/1क	0.105
29/3	0.073
36	0.117
29/2	0.061
28	0.077
37, 38/2	0.008
46/2	0.049
49/1	0.194
35	0.101
49/2	0.004
50/1	0.008
50/2	0.243
38/1	0.162
83/1	0.045
83/2	0.012
77	0.227
82/2	0.202
82/3	0.089
81	0.020
105/1	0.061
70	0.061
71/2	0.170
107/1	0.049
84/5	0.109
84/3	0.255
84/2	0.364
79/10	0.040
79/1	0.020
79/5	0.121
79/2	0.170

(1)	(2)
79/6	0.032
73/4	0.142
73/5	0.081
73/1	0.243
71/1 क	0.190
71/1 ख	0.194
109	0.049
107/3	0.202
107/2	0.020
104	0.227
221	0.142
56/1	0.057
56/3	0.049
56/2	0.093
55	0.085
50/1	0.028
68/1	0.020
217	0.105
218	0.028
216/2	0.045
219, 220	0.227
222	0.526
53	0.008
54/3	0.053
54/2	0.053
52/1	0.077
52/4	0.085
47/1, 69/1	0.045
47/2, 69/2	0.045
47/3, 69/3	0.049
70/3	0.097
70/4	0.049
223/1	0.081
249/1	0.121
257	0.036
249/2, 249/3	0.008
249/7	0.053
252/1	0.008
248/2	0.081
252/2	0.154
253/1	0.073
253/2	0.020
105/3	0.154
105/4	0.081
105/6	0.109
105/2	0.085
254/1	0.101
254/2	0.020
249/4	0.117
214/3	0.008
214/5	0.077
योग 87	8.836

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 04/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-बोदरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.602 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
33	0.263
32	0.016
41/1	0.304
43	0.178
41/3	0.178
42	0.073
41/2	0.248
40	0.024
47	0.372

(1)	(2)
45	0.429
44	0.113
50	0.243
48	0.413
56	0.384
49	0.129
57/2	0.040
55/1	0.389
55/2	0.283
62	0.121
63	0.049
64/1	0.101
94/2	0.324
94/3	0.482
95	0.024
55/3	0.421
55/4	0.405
54/1	0.271
52	0.413
53	0.162
54/2	0.202
64/2	0.020
94/1	0.101
96	0.243
99/1	0.142
99/2	0.304
181/1	0.283
99/3	0.109
99/4	0.024
99/5	0.028
100	0.210
105/1	0.020
105/2	0.101
152	0.182
105/3	0.097
151	0.008
57/1	0.024
105/4	0.061
105/5	0.061
104	0.676
102	0.384
103	0.121
153/2	0.101
178	0.652
179	0.385
97	0.008
98	0.008
101	0.016
177	0.081
176/1	0.324
176/2	0.182
175	0.028
180	0.150
181/2	0.324
182/1	0.024
184	0.040
183	0.384
185/1	0.202
185/2	0.020
185/3	0.223
186	0.020
187/1	0.680
191/1	0.267
192	0.223
187/2	0.061
189	0.380
190/2	0.356
188	0.648
190/1	0.121
194	0.316
193	0.101
195/1	0.024
योग 81	16.602

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 05/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.148 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	939	0.061
	942/1	0.016
	942/2	0.162
	941	0.150
	951/6	0.113
	951/1, 951/2, 951/3, 951/5	0.304
	952	0.405
	953	0.020
	962	0.138
	964/2	0.065
	963	0.304
	964/1	0.061
	966/1	0.202
	966/2	0.020
	968	0.105
	971	0.081
	972/1	0.097
	974/2	0.061
	972/2	0.121
	978	0.101
	977	0.024
	979/1	0.040
	988	0.101
	990/1	0.142
	990/2	0.316
	991	0.020
	993/2	0.162
	993/3	0.121
	994/1	0.142
	996/4	0.121
	996/3	0.162
	996/2	0.202
	998	0.008
योग	33	4.148

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 07/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जोंकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.931 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
192/1	0.008
191	0.008
204	0.283
201, 202	0.081
194	0.008
198/1, 199/1, 200/1	0.121
198/2, 199/2, 200/2	0.142
198/3, 199/3 200/3	0.142
195/2, 196	0.138
280	0.324

	(1)	(2)
	279	0.008
	278	0.008
	283, 284, 285	0.243
	281/3, 282/1	0.243
	282/2	0.113
	282/6	0.061
योग	27	1.931

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 07/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-खुरदुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.133 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1422	0.271
	1421/3	0.125
	1443	0.260
	1444	0.336
	1445/2	0.364
	1445/1	0.210
	1424/3	0.101
	1425/3	0.045
	1425/1	0.061
	1424/1	0.105
	1424/2	0.105
	1425/2	0.020
	1425/4	0.065
	1425/5	0.065
योग	14	2.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 08/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-संबलपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.242 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4/1	0.121
6	0.008
4/2	0.089

(1)	(2)
5	0.024
योग 4	0.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 09/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-समडील
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.732 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
459/1	0.146
462	0.178
459/2	0.146
460	0.036
461	0.154
463	0.210
464	0.065
465	0.304
466	0.547
467	0.146
470	0.227
471	0.227
472	0.243
482	0.097
486/3	0.057
473	0.129
474	0.231
475/1	0.004
480/1	0.085
480/2	0.032
481/1	0.121
481/2	0.150
481/3	0.251
479	0.930
486/4	0.016
योग 25	4.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 09/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसबोड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.284 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.057

(1)	(2)	(1)	(2)
5/5	0.089	140/75	0.146
1/3	0.138	140/12 ख	0.073
1/5	0.218	140/6	0.372
1/6	0.057	140/69	0.049
1/7	0.012	122/22 ख	0.057
1/8	0.234	122/22 क	0.134
6/2	0.170	140/73	0.202
5/2	0.073	140/77	0.065
140/32	0.170	122/32	0.113
27/1	0.243	122/18	0.016
27/2	0.154	122/23	0.138
28	0.234	122/6	0.234
38/3	0.045	122/13	0.105
38/4	0.526	122/30	0.032
38/8	0.049	122/31	0.138
38/15	0.012	122/24 ख	0.097
108/19	0.170	121/2	0.222
37/3	0.012	121/1	0.008
38/9	0.016	109/1	0.081
39/1	0.073	117/1	0.020
39/3	0.121	117/2	0.340
39/12	0.073	117/3	0.308
44/1	0.162	118/3	0.304
44/2	0.324	108/17	0.182
45	0.109	108/18	0.097
72/1	0.154	108/15	0.020
72/2	0.081	116/1	0.012
72/3	0.081	122/29	0.138
140/15 घ	0.170	122/28	0.089
72/5	0.105	122/9	0.170
72/6	0.218	140/61	0.170
73/3	0.405	140/62	0.097
73/5	0.053	122/8	0.158
73/4	0.162	122/19	0.154
140/7	0.008	122/7	0.057
80	0.040	122/33	0.057
38/13	0.097	122/25	0.081
38/18	0.040	130/2	0.081
108/3	0.024	128/2	0.057
38/14	0.040	128/1	0.081
38/19	0.174	125/2	0.121
38/20	0.069	123/3	0.008
140/50	0.004	127	0.243
140/15 ख	0.113	124	0.024
39/17	0.291	125/1	0.291
140/15 क	0.040	140/56	0.089
140/15 ग	0.004	140/48	0.073
140/39	0.097	140/88	0.008

(1)	(2)
140/34	0.004
140/41	0.138
122/28	0.008
140/40	0.081
140/24 ग	0.202
122/18	0.028
योग 103	12.284

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 10/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-अमेरी अकबरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.620 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44	0.283
101/4	0.089
42/4	0.101
43	0.227
42/3	0.008
45	0.101
49/1	0.032
49/2	0.032
49/3	0.081
49/5	0.020
106	0.020
49/4	0.008
91/1	0.101
91/2	0.170
91/3	0.061
91/4	0.202
90/1	0.008
92/2	0.040
92/3	0.162
105	0.202
104/1	0.081
103/1	0.146
102	0.263
297/3, 296/29	0.259
101/3	0.081
101/5	0.101
122	0.040
129/2	0.045
123/1	0.073
123/2	0.121
127/1	0.178
160/1	0.020
127/2	0.040
128/1	0.012
126	0.263
157/1	0.061
157/5	0.089
157/2, 157/3	0.073
156	0.008
161/8, 162/12	0.291
157/4	0.008
168/1	0.061
171	0.004
168/2	0.101
169	0.223
168/4	0.061
104/2	0.146
103/2	0.101
161/4	0.283
161/7	0.162
166/1	0.121
168/3	0.146
161/5	0.040
165	0.020
161/6	0.040

	(1)	(2)
	163	0.283
	193	0.170
	166/2	0.170
	194	0.008
	196/2	0.162
	195	0.008
	192/1	0.308
	192/3	0.008
	196/1	0.041
	231/1	0.061
	231/2	0.299
	298/3	0.162
	299/2	0.146
	296/13	0.243
	849/2	0.607
	801/1	0.134
	813/2	0.061
	802/1	0.020
	164	0.142
	797/2	0.182
	798	0.081
	796/1	0.121
	796/2	0.243
	296, 25/2 क	0.121
	804/4	0.089
	848/4	0.040
योग	81	9.620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 13/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-बिल्हा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.984 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
31/1	0.242
4	0.024
17/3	0.352
37/6	0.085
59/28	0.202
59/22 क	0.194
59/22 ख	0.239
3/1	0.065
37/4	0.069
37/5	0.061
40/1	0.340
5	0.053
1/12	0.729
1/14	0.101
38/3	0.348
38/5	0.324
39/1	0.138
42/1	0.186
42/2	0.324
42/3	0.028
80	0.040
41/1	0.097
54/6	0.214
54/7	0.158
59/37	0.607
59/42	0.069
59/57	0.028
59/85	0.482
59/25 घ	0.243
59/38 ख	0.012
59/81	0.150
59/38 क	0.069
59/63	0.304
59/30	0.032
59/50	0.020
59/104	0.174
77/3	0.615

(1)	(2)
79/1	0.040
79/3	0.028
79/4	0.138
79/5	0.708
83/1	0.316
83/2	0.012
59/24	0.324
योग 44	8.984

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 14/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हारडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.620 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35/1	0.032
114/2	0.020
35/2, 36/2, 37	0.251
38	0.061
39	0.032
40	0.012
34/3, 35/5	0.149
27/2, 28/2, 35/4	0.008
99	0.324
98	0.024
97/1	0.421
114/1 क	0.725
114/7	0.040
114/4	0.121
114/3	0.162
114/3 ख	0.024
110/5	0.028
110/4	0.036
111/1	0.142
109/1	0.008
योग 20	2.620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 19/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गनियारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.463 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
424/3	0.080
423	0.057
292	0.263

(1)	(2)
422/1	0.085
422/2	0.222
421/1	0.283
421/5	0.117
421/2	0.486
421/3	0.202
421/4	0.085
358/2, 359/2	0.089
412	0.004
413	0.085
414	0.243
417, 418/2	0.312
418/1	0.008
416	0.008
415/2	0.214
408/2	0.332
447	0.174
448	0.279
415/1	0.008
408/1	0.020
406/3	0.012
446/2, 449/1	0.049
449/2	0.182
449/3	0.218
666/2	0.024
649/1	1.579
649/2	0.890
666/1	0.223
667	0.081
668	0.154
648/1	0.364
648/2	0.073
932, 933	0.064
918/1	0.004
916/1	0.486
917/2	0.081
916/2	0.032
1335/1	0.615
1331/1, 1331/2	0.518
1332/1, 1332/2	0.158
योग 43	9.463

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्रमांक 42/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-खरगहनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.969 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
347/1	0.162
346	0.162
252/1	0.226
354	0.162
355	0.210
381	0.004
382	0.182
383/2	0.121
356	0.036
390	0.113
357	0.077
387	0.125
388	0.125
358	0.396
359/1	0.040
272	0.081
359/2	0.020
242	0.441
383/1	0.065
248/1	0.012
253/1	0.073
384/1	0.032
384/2	0.061
384/4	0.036
385	0.089
285/1	0.024

(1)	(2)
389	0.113
386	0.048
391/1	0.061
391/2	0.032
284/1	0.210
396	0.138
661/1	0.061
393/1	0.129
271/1	0.117
393/2	0.089
271/2	0.117
393/3	0.053
392	0.089
333	0.049
284/2	0.210
334/2	0.008
280	0.388
281	0.097
282	0.186
283	0.186
285/2	0.028
268/1	0.146
436	0.081
279/2	0.061
286/1	0.028
270	0.012
268/2	0.279
269	0.113
250/2	0.125
251	0.363
249	0.016
243/1	0.004
753	0.324
252/2	0.178
226	0.154
246	0.413
241	0.040
231/2	0.186
233	0.202
232	0.113
235/1	0.470
227/1	0.129
286/2	0.024
245	0.020
240/1	0.004
योग 71	8.969

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कलमीटार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.397 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
165	0.283
190	0.020
192	0.162
193, 200/5	0.628
191	0.223
200/1	0.401
200/2	0.089
197/3	0.429
89/2	0.308
173/2	0.129
200/4	0.129
208	0.040
209/1	0.129

(1)	(2)
209/3	0.008
167	0.105
130	0.259
131/1	0.040
173/1 ग	0.186
162/2	0.097
148	0.154
149	0.186
162/1	0.223
150	0.061
151/1	0.146
151/2	0.069
152/2	0.028
129	0.036
152/1	0.182
96	0.097
100/4	0.166
94	0.028
153	0.028
100/5	0.121
125	0.117
128/2	0.065
124	0.004
86/3	0.174
95	0.235
104	0.028
162/6	0.065
93	0.178
128/1	0.049
162/3	0.279
73/2 ग, 126	0.020
166	0.247
86/5	0.150
100/7	0.121
100/6	0.121
100/1	0.093
100/2, 100/10	0.093
101	0.170
103	0.154
86/7	0.243
194	0.057
163	0.065
87	0.085
86/2	0.142
86/5	0.170
86/6	0.024
86/1	0.364
86/4	0.186
39/1	0.494
122	0.016
89/2	0.170
89/3	0.121
89/1	0.020
92, 123, 220	0.275
106/2	0.073
107	0.032
108	0.040
112/3	0.040
109	0.040
112/2	0.109
114/1	0.134
113/2, 114/2, 115	0.202
218/4	0.020
106/1	0.097
200/2	0.174
201/1, 201/2	0.304
203	0.045
205	0.057
204	0.045
योग 82	11.397

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्रमांक 15/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-दर्रीकापा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.124 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
625/3	0.061
669	0.032
627/1	0.073
627/2	0.089
627/4	0.069
627/3	0.097
674, 677	0.008
628	0.101
637	0.081
440	0.081
629	0.012
630, 631	0.146
636	0.040
638	0.073
438	0.121
639	0.121
675	0.012
640, 801	0.356
679	0.113
680	0.016
681	0.024
682	0.024
684	0.004
676/1	0.170
676/2	0.061
678	0.182
635/7	0.028
689	0.049
671	0.352
699/1	0.036
687	0.065
668	0.049
688	0.129
635/2	0.020
632	0.024
635/4	0.113
635/6	0.113
686/1	0.049
686/2	0.053
418	0.105
693	0.081
691	0.105
421/1	0.121
420	0.162
419	0.146
414	0.032
690/2	0.182
690/1	0.053
441, 442/2	0.040
692/1	0.057
692/2	0.057
341/5	0.202
341/10	0.081
341/11	0.097
341/12	0.032
341/13	0.073
641	0.032
683	0.219
योग 58	5.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्रमांक 17/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-बरद्वार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.578 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
519/3	0.223
519/1	0.206
519/2	0.121
520/1	0.024
520/2	0.004
योग 5	0.578

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 02 अप्रैल 2016

क्रमांक 431/नग्रानि/16.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट लैलुंगा निवेश क्षेत्र में की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं, इस सूचना प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

लैलुंगा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम भेलवाटोली, खम्हार एवं जामबहार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम जामबहार, रूडूकेला, पकरगांव, लैलुंगा एवं कुंजेरा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कुंजेरा एवं अंगेकेला ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम अंगेकेला, कुंजेरा, लैलुंगा, झरन एवं भेलवाटोली की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत लैलुंगा (सभा कक्ष).

No. 431/N.G.N/16.—It is published for general information on the public that is pursuance of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (23 of 1973) an existing land use map of the planning area of Lailunga Town as specified in the following schedule is hereby duly adopted by the Deputy Director, Town & Country Planning, Raigarh (C.G.) Copy of this notice is being sent for publication in the Chhattisgarh Gazette under sub-section (4) of section 15 of the said Act, and will be a conclusive evidence of the fact that the map has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limit of Lailunga Planning Area

NORTH	:	Village Bhelwatoli, Khamhar and up to the Northern limit of Jambahar.
EAST	:	Village Jambahar, Rudukela, Pakargaon, Lailunga and up to Eastern limit of Kunjera.
SOUTH	:	Village Kunjera and up to the Southern limit of Angekela.
WEST	:	Village Angekela, Kunjera, Lailunga, Jharan and up to Western limit of Bhelwatoli.

The said adopted map shall be open for inspection at the following place with effect from the date of publication for a period of 15 days during office hours, except holidays.

Inspection Site :— Office of the Nagar Panchayat Lailunga (Sabha Kaksh)

आर. एन. प्रसाद,
सहायक संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 27 फरवरी 2016

क्रमांक/1041/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मल्हार निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं उसकी प्रति नगर पंचायत मल्हार के कार्यालय भवन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मस्तूरी, जिला-बिलासपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. में दिनांक 27-02-2016 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

उत्तर में	:	ग्राम सरसेनी, बुढ़ीखार, मल्हार एवं जैतपुरी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम जैतपुरी, बेटरी, मल्हार एवं जुनवानी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम जुनवानी, धुरवाकरी, हरदी एवं भगवानपाली ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम भगवानपाली, धनगांव, बिनेका, बिदियाडीह, मटिया एवं सरसेनी ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. को सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :

1. कार्यालय नगर पंचायत मल्हार, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

No./1041/व.भू.उ.प्र./T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Malhar Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy there of is available for inspection w.e.f. 27-02-2016 in the Office of the Nagar Panchayat Malhar, Office of the S.D.O. (Revenue) Masturi, District-Bilaspur and Office of the Joint Director Town and Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur during Office hours of working days. The limits of Malhar Planning Area are detailed in Schedule given below :—

SCHEDULE

NORTH	:	Village Sarseni, Budhikhar, Malhar and up to the North Limit of Jaitpuri.
EAST	:	Village Jaitpuri, Betri, Malhar and up to the East limit of Junwani.
SOUTH	:	Village Junwani, Dhurwadih, Hardi and up to the South limit of Bhagwanpali.
WEST	:	Village Bhagwanpali, Dhangaon, Bineka, Bindiyadih, Matiya and up to the West limit of Sarseni.

If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur within a period of thirty days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Director.

Inspection Site :—

1. Office of the Nagar Panchayat Malhar, District Bilaspur (C.G.)
2. Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building Collectorate Premises Bilaspur.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

इन्द्रावती खण्ड प्रथम तल, शास्त्री चौक रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2016

क्रमांक 1763/स्था./छगरासूआ/16.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2015/1-13 नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी, 2016 के परिपेक्ष में श्री सरजियस मिन्ज, मुख्य सूचना आयुक्त, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर दिनांक 15-03-2016 को अपरान्ह में सेवानिवृत्त होंगे.

ओंकार सिंह,
सचिव.